

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 08/2022

प्रार्थी :- सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
बनाम्

अप्रार्थी :- अंशुल अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी 46, 48, तीसरी ए रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी एवं पूसाराम चौधरी

आदेश

दिनांक ०९-५-२०२२

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिकारपुरा के खसरा नं. 667/24 रकबा 4.9291 हैक्टेयर संख्या 1 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। जिस भूमि का अप्रार्थी द्वारा कृषि उपयोग नहीं लिया जाकर उस पर विधि विरुद्ध तरीके से खनन कार्य किया जाना पाया गया है जिस कारण अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को सरकारी भूमि में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि अवश्य है किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कभी भी कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया एवं ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया गया है। प्रार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी। अप्रार्थी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज होने पर अप्रार्थी को सर्वप्रथम इन तथ्यों की जानकारी हुई। वास्तविकता में इस क्षेत्र में वर्तमान में अवैध खनन की कार्यवाही बहुत अधिक बढ़ गयी है एवं भू-माफिया एवं खनन माफिया द्वारा अप्रार्थी की अनुपस्थिति में अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि से अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है।

अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दाण्डिक विविध याचिका प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उक्त एफ.आई.आर. में पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा जो मौका रिपोर्ट बतायी जा रही है उक्त मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई एवं ना ही अप्रार्थी की उपस्थिति में ऐसा कोई मौका देखा गया। अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बजरी माफिया के व्यक्तियों द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने की नियत से बजरी खनन का कार्य किया जा रहा है जिस संबंध में अप्रार्थी ने दिनांक 20.01.2024 तथा 22.01.2024 को तहसीलदार महोदय, पुलिस थाना, खानेज मंत्री तथा राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर अवैध खनन करने वाले भू माफिया एवं बजरी माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया जा चुका है। अंत में अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं किये जाने के कारण एवं ऐसे अवैध खनन से अप्रार्थी स्वयं को

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नुकसान होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी के खेत पर हो रहे अवैध खनन कार्य को रूकवाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ दस्तावेज एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने बहस उभय पक्षकारान् सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। जबकि अप्रार्थी की ओर से इसका खण्डन करते हुए स्वयं द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं करने एवं भू माफिया एवं बजरी माफिया द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी की भूमि पर खनन करने के कारण उसमें अप्रार्थी का किसी प्रकार दोषी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का निरीक्षण किया जिसमें अप्रार्थी द्वारा स्वयं विभिन्न सरकारी महकमो एवं पुलिस थाना तथा प्रार्थी स्वयं के पास इस सबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसकी भूमि पर भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियों द्वारा उसकी अनुपस्थिति में अवैध खनन किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बनायी गयी है जिससे यह सिद्ध नहीं हो रहा है अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किया गया हो। अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर में भी पुलिस थानाधिकारी द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि अप्रार्थी स्वयं द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य किया जा रहा हो। किसी अन्य भू माफिया एवं बजरी माफिया के व्यक्तियों द्वारा किये गये किसी भी अवैध कृत्य हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विपरीत कार्यवाही की जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगी और ऐसी किसी भी कार्यवाही से अप्रार्थी को उसके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं किये जाने के बावजूद उसके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(पुखराज कांसोटिया)
सहायक पत्रपत्र अधिकारी इलाहाबाद
सगी

यह आदेश आज दिनांक 9-4-25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सर इलजास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी लुधियाना
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सगी